



115  
निगरानी 2332-I-15  
समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. श्री उमाशंकर यादव तनय श्याम मोहन यादव
  2. श्री भागीरथ कुशवाहा तनय लखनलाल कुशवाहा
  3. श्री झल्लू यादव तनय हल्केई यादव
  4. श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव तनय स्वामी प्रसाद यादव
  5. श्री किशन प्रसाद तनय श्याममोहन यादव
- सभी निवासी - ग्राम धामची, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

श्री. राजेश श्रीवास्तव, ग्राम  
द्वारा आज दि. 24.7.15  
प्रस्तुत  
24/7/15  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

.....आवेदकगण

// विरुद्ध //

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं  
संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, तहसील छतरपुर के प्र. क्र. 123/अ-बी121/2014-15 में पारित आदेश दि. 10.07.15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

3

निगरानी न्यायालय तहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2332-एक/2015

जिला-छतरपुर

उमाशंकर आदि विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील व जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 123/अ-बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारो 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>